

समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612- 2219116(का०)
फैक्स नं०- 0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

सहाय्य कार्यों के सम्यकरूपेण संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 88/आ०प्र० दिनांक 15.01.14 द्वारा पॉलिथीन शीट्स की आपूर्ति करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में शल्पकालीन निविदा सूचना (संख्या 02/2014) का प्रकाशन किया गया था। उक्त के संदर्भ में प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदित दर के आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा० लि०, सुपर मार्केट, चिनसुराह, स्टेशन रोड, चिनसुराह, हुगली (पश्चिम बंगाल) की निविदा को दिनांक 29.01.2014 को आहूत जिला क्रय समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया है। संबंधित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24.02.14 को प्रस्तुत किये गये एकरारनामा के आलोक में निम्नांकित विशिष्टियों एवं विवरणों के अनुरूप पॉलिथीन शीट्स की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है :-

क्र०	आपूर्तिकर्ता फर्म का विवरण	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	निर्धारित दर
1	ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा० लि० (DGS & D निबंधन संख्या - KOL/S-5073/13/06644, बिहार वैट TIN No.-10112093049, PAN NO AACCE2946G)	Low density Polyethylene Black sheets of 250 micrometer	DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का (ISI 2508/84 के अनुसार)	4 x 5 मीटर	5000 शीट्स	138.00 रु० (एक सौ अड़तीस रुपये) प्रति कि०ग्रा० सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

1. आपूर्तिकर्ता को पॉलिथीन शीट्स की आपूर्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।

2. आपूरित पॉलिथीन शीट्स DGS & D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

4. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

5. आपूर्ति की जानेवाली पॉलिथीन शीट्स की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्ता, राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना, तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होंगे।

भापूर्ति की गई सामग्री का वजन सत्यापन हेतु निरीक्षक, माप-तौल, पटना (अति- 1), निरीक्षक, माप-तौल, पटना (अति- 2), निरीक्षक, माप-तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक, माप-तौल, दानापुर (अति) समिति के सदस्य होंगे।


6. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक ष्टौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/-
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक--XLI-03/14 289 /आ०प्र०, पटना, दिनांक 04/03/14

- प्रतिलिपि :- मेसर्स ईस्ट हुगली पॉली प्लास्ट प्रा० लि०, सुपर मार्केट, चिनसुराह, स्टेशन रोड, चिनसुराह, हुगली (पश्चिम बंगाल) को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निरीक्षक, माप-तौल, पटना (अति- 1), निरीक्षक, माप-तौल, पटना (अति- 2), निरीक्षक, माप-तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक, माप-तौल, दानापुर (अति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, राजस्व, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/जिला लेखा पदाधिकारी, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- ADG (Q.A.), O/O DGS & D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
पटना।